

Disclaimer

“This is an automated (system-generated) translation provided for convenience. If there is any ambiguity or inconsistency between this translation and the English version of the document, the English version will prevail to the extent permitted by applicable law. If you need any clarification, please call our toll-free number [1800 572 3013] and we will assist you.”

अस्वीकरण

“यह सुविधा के लिए दिया गया एक ऑटोमेटेड (सिस्टम से बना) ट्रांसलेशन है। अगर इस ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंट के इंग्लिश वर्शन के बीच कोई कन्फ्यूजन या अंतर है, तो लागू कानून के तहत इंग्लिश वर्शन ही मान्य होगा। अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो कृपया हमारे टोल-फ्री नंबर [1800 572 3013] पर कॉल करें और हम आपकी मदद करेंगे।”

ग्राहक सूचना पत्रक/अपनी नीति को जानें

यह दस्तावेज़ आपकी नीति के बारे में केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। कृपया विस्तृत नियम और शर्तों के लिए नीति दस्तावेज़ देखें।

एस. एल. नहीं।	शीर्षक	वर्णन (कृपया अगले कॉलम में लागू नीति खंड संख्या देखें)	पॉलिसी अनुभाग संख्या
1)	बीमा उत्पाद का नाम	क्षेमा सुकृति	आई.
2)	आई. आर. डी. ए. आई. द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या	IRDAN162RPCR0021V01202526	
3)	बीमा उत्पाद की संरचना/प्रकार	क्षतिपूर्ति: क्षतिपूर्ति राशि उपग्रह छवि/ऐप के माध्यम से प्राप्त चित्रों के माध्यम से निर्धारित नुकसान के प्रतिशत को लागू करने के बाद प्राप्त की जाएगी।	VIII
4)	बीमित राशि	पॉलिसी अनुसूची में दर्शाई गई राशि अधिकतम है जो हम किसी भी एकल दावे के लिए या बीमा अवधि के दौरान सभी दावों के लिए भुगतान करेंगे। पशु हमले के कवरेज के लिए, भुगतान 25 प्रतिशत तक सीमित है।	II
5)	बीमित ब्याज/कवरेज के लिए खंड	किसानों/खेती करने वालों के लिए-180 दिनों से कम समय में मौसमी फसलों की खेती करना।	
6)	पॉलिसी कवरेज (पॉलिसी में क्या शामिल है?)	आपके द्वारा चयनित खतरों के कारण बीमित फसल को नुकसान या नुकसान-एक प्रमुख खतरों से और एक छोटे खतरों से-नीचे दी गई सूची से: प्रमुख खतरे बाढ़ जलप्लावन (हाइड्रोफिलिक फसलों पर लागू नहीं) चक्रवात नाम दिया गया तूफान छोटे खतरे पशुओं का हमला हाथी जंगली सूअर सुनामी सहित भूकंप	III (बी)

		बिजली गिरने से लगी आग भूस्खलन	
7)	उक्त उत्पाद के लिए उपलब्ध अतिरिक्त कवर	पशु आक्रमण कवरेज के तहत, नीलगाय पशु केवल मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक अतिरिक्त के रूप में उपलब्ध है। कवर पर जोड़ यू. आई. एन. संख्या के तहत है।	शब्दों को जोड़ें
8)	कटौती योग्य/अतिरिक्त/सह-भुगतान और मूल्यहास, कम बीमा	Rs.500-या दावे की निर्धारित राशि का 5 प्रतिशत, जो भी प्रत्येक के लिए अधिक हो, और इस नीति के तहत किए गए प्रत्येक दावे के लिए।	VI
	बहिष्करण (पॉलिसी में क्या शामिल नहीं है)	कंपनी निम्नलिखित के कारण हुए नुकसान और नुकसान को कवर नहीं करेगी। युद्ध का जोखिम: युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कार्य, शत्रुता (चाहे युद्ध की घोषणा की जाए या न की जाए), गृह युद्ध, विद्रोह, क्रांति, विद्रोह, सैन्य या हड़पी हुई शक्ति, जब्ती, प्राकृतिक हानि के कारण नुकसान। नाभिकीय जोखिम: आयनीकरण विकिरण या किसी भी नाभिकीय ईंधन से रेडियोधर्मिता या नाभिकीय ईंधन के दहन से किसी भी नाभिकीय अपशिष्ट से होने वाले संदूषण से बीमित फसल को कोई नुकसान। परिणामी हानि: किसी भी प्रकार या विवरण की परिणामी हानि। दुर्भावनापूर्ण क्षति, आगजनी और अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम। आतंकवाद: आतंकवादी गतिविधियों के कारण फसल को कोई भी नुकसान। किसी भी प्रकार का प्रदूषण या संदूषण। किसी भी सरकार या किसी अन्य नागरिक प्राधिकरण के आदेश के कारण राजनीतिक जोखिम या हानि या क्षति; ज्वालामुखीय विस्फोट, तटीय या नदी का कटाव या प्रकृति के अन्य	IV

9)		<p>आवेग। चोरी, दंगा और हड़ताल। फसल उपज के लिए फसल कटाई के बाद का नुकसान, भले ही वह कटे हुए और बीमित खेत में फैला हुआ हो। इसके अलावा किसी अन्य जानवर द्वारा किए गए नुकसान/हानि का उल्लेख धारा 3, यानी कवरेज के तहत किया गया है। बाढ़ के खिलाफ हाइड्रोफिलिक फसलों का कवरेज। किसी भी अन्य खतरे से, जो पॉलिसी अनुसूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। स्टेकिंग, ट्रेलिस आदि जैसी सहायक संरचनाओं की लागत। अंतः फसल और मिश्रित फसल की खेती। बीमित खेत और क्षतिग्रस्त खेत के बहुभुज/अक्षांश और देशांतर के बीच बेमेल। अतिरिक्त का दावा करें। किसी भी नुकसान के संबंध में या उसके संबंध में आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च, चाहे वह किसी भी कारण से हो, भले ही इस तरह के नुकसान के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन/उपज में कमी हो या परिचालन क्षमता में वृद्धि हो। खेत से किसी भी क्षतिग्रस्त फसल, मलबा, या किसी भी पदार्थ को हटाने के लिए आपके द्वारा किया गया कोई भी खर्च, चाहे वह नुकसान कवर किए गए खतरों के कारण हुआ हो या अन्यथा, पी. ए. नहीं होगा। फसलों का नुकसान या क्षति जहां नुकसान या क्षति का स्थान प्रस्ताव के समय पहचाने गए बहुभुज के साथ प्रतिच्छेद नहीं करता है। उपज का नुकसान। नर्सरी में फसलें उगाई जा रही हैं। प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान हुआ कोई भी धोखाधड़ी या अतिरंजित दावे।</p>	
10)	विशेष शर्तें और वारंटी (यदि कोई हो)	<p>कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन इस नीति में प्रवेश किया गया है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा। हानि होने पर, हानि के तहत क्षेत्र की सीमा तक आनुपातिक बीमित राशि बीमित क्षेत्र के लिए कुल बीमित राशि से कम हो जाती है। प्रतीक्षा अवधि: इस पॉलिसी की प्रतीक्षा अवधि फसल की अवधि के 15 प्रतिशत दिनों से कम है जैसा कि आपने प्रस्ताव में घोषित किया है या स्थापना की तारीख से या बुवाई की बदली हुई तारीख/फसल से पहले 21 दिनों की है। यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त</p>	VI

		क्षेत्र की बीमित राशि को शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त माना जाएगा।	
11)	दावे की स्वीकार्यता	<p>दावा दायर करने की प्रक्रिया: क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से customer.support@kshema.co या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या अपनी पॉलिसी विवरण के साथ हमारी वेबसाइट https://kshema.co के माध्यम से नुकसान की तुरंत सूचना दें। नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएँ, जैसे कि कोई बीमा नहीं लिया गया है। क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके तारीख और समय की टिकटों के साथ क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें लें। क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरे बीमित क्षेत्र और क्षेत्र के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें। हानि के समय और तिथि और स्थान पर प्रभावित अनुमानित क्षेत्र के साथ क्षति/हानि का पूरा विवरण दें। हानि के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी भी अन्य बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी दें। क्षेमा द्वारा नुकसान सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की रक्षा करें और साथ ही फसल के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाएं। फसल के कारण, नुकसान और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज/जानकारी प्रदान करें और कंपनी द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी प्रदान करें। किसी भी बीमा दावे के मामले में, सात दिनों की अवधि के लिए नुकसान की तारीख से शुरू होने वाले हर वैकल्पिक दिन दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप जमा किए जाएंगे। हानि की तिथि पर बीमायोग्य ब्याज का प्रमाण स्थापित करने वाला दस्तावेज़। हानि आकलन और गणना: दावे का पता लगाने और नुकसान का आकलन केवल रिमोट सेंसिंग उपग्रह छवि/चित्रों और/या वीडियो क्लिप के माध्यम से किया जाएगा, जो इन-हाउस विकसित एल्गोरिदम का उपयोग करके क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। कवरेज के तहत उल्लिखित खतरों को केवल तभी पहचाना जाएगा जब संबंधित सरकार/मौसम विज्ञान/भूवैज्ञानिक/आपदा प्रबंधन अधिकारियों द्वारा घोषित या पुष्टि की जाएगी, या कोई अन्य विश्वसनीय स्थानीय अभिलेख या साक्ष्य। हानि क्षतिपूर्ति की गणना नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर की जाएगी। हानि = (बीमित राशि x फसल के चरण के आधार पर संबंधित</p>	वी, VIII, IX

		<p>क्षतिपूर्ति प्रतिशत x प्रभावित बीमित क्षेत्र की सीमा x हानि प्रतिशत x क्षतिपूर्ति प्रतिशत)-दावा अतिरिक्त के चरण के आधार पर मुआवजा प्रतिशत</p> <p>फसल: क्षतिपूर्ति प्रतिशत फसल की कुल अवधि के नुकसान की घटना के समय फसल के चरण का प्रतिशत होगा। नोट: यदि नुकसान के समय फसल चरण प्रतीक्षा अवधि के भीतर आता है, तो कोई बीमा दावा देय नहीं होगा।</p>	
12)	नीति सेवा-दावे की सूचना और प्रसंस्करण	<p>बीमाकर्ता का टोल फ्री/आई. वी. आर. एस. नंबर: टोल फ्री No.1800 572 3013 वेबसाइट/ईमेल: www.kshema.co या customer.support@kshema.co पर जाएँ</p> <p>इस नीति के तहत आने वाले किसी भी खतरे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, जिसके परिणामस्वरूप फसल को नुकसान या क्षति हुई है, आपको निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है: क्षेमा एप्लीकेशन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से customer.support@kshema.co या टोल-फ्री नंबर 18005723013 पर या अपनी पॉलिसी विवरण के साथ हमारी वेबसाइट https://kshema.co के माध्यम से नुकसान की तुरंत सूचना दें। नुकसान को कम करने के लिए सभी कदम उठाएँ, जैसे कि कोई बीमा नहीं लिया गया है। क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके तारीख और समय की टिकटों के साथ क्षतिग्रस्त फसल की जियो-टैग की गई तस्वीरें लें। क्षेमा एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरे बीमित क्षेत्र और क्षेत्र के प्रभावित हिस्से की वीडियो क्लिप लें। हानि के समय और तिथि और स्थान पर प्रभावित अनुमानित क्षेत्र के साथ क्षति/हानि का पूरा विवरण दें। हानि के समय उसी बीमित फसल को कवर करने वाली किसी भी अन्य बीमा पॉलिसियों के बारे में जानकारी दें। क्षेमा द्वारा नुकसान सत्यापन/मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक क्षतिग्रस्त फसल की रक्षा करें और साथ ही फसल के नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाएं। फसल के कारण, नुकसान और क्षति को स्थापित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज/जानकारी प्रदान करें और कंपनी द्वारा आवश्यक किसी भी अन्य जानकारी प्रदान करें। किसी भी बीमा दावे के मामले में, सात दिनों की अवधि के लिए नुकसान की तारीख से शुरू होने वाले हर वैकल्पिक दिन दिनांकित फोटो और वीडियो क्लिप जमा किए जाएंगे। हानि की तिथि पर बीमायोग्य ब्याज का प्रमाण स्थापित करने वाला दस्तावेज़।</p>	वी.

13)	शिकायत निवारण और पॉलिसीधारक का संरक्षण	<p>पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा बीमा उद्योग का एक मौलिक पहलू है जिसका उद्देश्य अधिकारों की रक्षा करना और बीमा धारक व्यक्तियों या संस्थाओं के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है।</p> <p>बीमाकर्ता के शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण: gro@kshema.co पर मुख्य शिकायत अधिकारी बीमा भरोसा पोर्टल: https://bimabharosa.irdai.gov.in लोकपाल: http://www.cioins.co.in/ombudsman.htm टोल फ्री No.1800 572 3013 या हमें customer.support@kshema.co पर ईमेल करें</p>	XIV
14)	भावी पॉलिसीधारक/ग्राहक के दायित्व	<p>प्रस्ताव प्रपत्र भरते समय सभी सामग्री जानकारी का खुलासा करना:</p> <p>प्रस्ताव प्रपत्र में सभी सामग्री जानकारी का खुलासा करने के लिए आप बाध्य हैं। आपके द्वारा धोखाधड़ी की स्थिति में, नीति अमान्य होगी।</p> <p>आप हमें लिखित रूप में या क्षेमा एप्लिकेशन के माध्यम से किसी भी समय इस नीति को रद्द कर सकते हैं। जब हम आपकी सूचना प्राप्त करेंगे तो नीति समाप्त हो जाएगी।</p> <p>हम धोखाधड़ी के आधार को छोड़कर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी को रद्द नहीं करेंगे। दोनों ही मामलों में, न खत्म हुई अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>पहले से घोषित जानकारी में किसी भी बदलाव/संशोधन/जोड़ के मामले में उसे तुरंत बीमाकर्ता के ध्यान में लाया जाएगा।</p> <p>निर्विवादता और प्रकटीकरण का कर्तव्य: यह नीति अमान्य हो जाएगी और इसके तहत कोई भी लाभ किसी भी असत्य या गलत बयान, गलत प्रतिनिधित्व, गलत जानकारी की स्थिति में देय नहीं होगा।</p> <p>फसल बेमेल: पॉलिसी शुरू से ही अमान्य हो जाती है, और यदि आपके द्वारा बीमा के समय बीमा के लिए घोषित फसल और बीमित राशि पर वास्तविक फसल का भुगतान किया जाता है तो कोई नुकसान/क्षति देय नहीं होगी।</p> <p>प्रथाओं का फसल पैकेज: बीमित व्यक्ति फसल से संबंधित प्रथाओं के सभी पैकेज का पालन करेगा और सिंचाई, निराई, पौधे संरक्षण आदि जैसी सभी गतिविधियों को समय पर करेगा।</p> <p>अतिरिक्त राशि: आपको इस नीति के तहत किए गए प्रत्येक दावे के लिए Rs.500-या दावा मूल्यांकन राशि का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, वहन करना होगा।</p> <p>पेरिल पॉलिसी नामक: यह पॉलिसी केवल उन खतरों के लिए कवरेज प्रदान करती है जो विशेष रूप से सूचीबद्ध हैं या स्पष्ट रूप से पॉलिसी अनुसूची में शामिल किए गए हैं।</p> <p>योगदान खंड: यदि एक ही कृषि भूमि में एक ही फसल का एक से अधिक बीमा पॉलिसियों के तहत बीमा किया जाता है और यदि उक्त कृषि भूमि पर नुकसान होता है और नुकसान गुणक के तहत</p>	बारहवीं, छठी

	<p>कवर किया जाता है।</p> <p>बुवाई की तारीख: यदि बुवाई की तारीख उद्घरण तिथि से 15 दिन पहले पाई जाती है, तो पॉलिसी को अमान्य माना जाएगा और कोई भी दावा देय नहीं होगा।</p> <p>फसल में बदलाव: फसल में एक बार बदलाव की अनुमति बीमा प्रस्ताव के समय घोषित की गई फसल से दी जाएगी, बशर्ते कि बुवाई के 5 दिनों के भीतर बदलाव की सूचना दी जाए।</p> <p>बुवाई की तारीख में बदलाव: बुवाई की तारीख में एक बार बदलाव की अनुमति है जो बुवाई के 5 दिनों के भीतर लिखित रूप में सूचित किए जाने के अधीन प्रीमियम भुगतान की तारीख से पहले नहीं है।</p> <p>7 दिनों का खंड: नुकसान होने की घटना की शुरुआत से शुरू होने वाले लगातार 7 दिनों की अवधि के दौरान उसी प्रभावित बहुभुज में नामित खतरों से बीमित फसल को कोई नुकसान या क्षति।</p> <p>अनिवार्य दस्तावेज़: बीमा दावे के समय, अक्षांश और देशांतर निर्देशांक के साथ अनिवार्य फसल हानि/क्षतिग्रस्त फोटो 2 दिनों के सख्त अंतराल पर जमा किए जाएंगे।</p> <p>उचित देखभाल: आप किसी दावे को जन्म देने वाले नुकसान या क्षति से बीमित फसल के हितों की रक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएंगे।</p> <p>नियमों और शर्तों का पालन: इस नीति के नियमों, शर्तों और समर्थन का उचित पालन और पूर्ति जहां तक वे आपके द्वारा किए जाने या पालन किए जाने वाले किसी भी काम से संबंधित हैं।</p> <p>इस नीति के नियमों और शर्तों का पालन न करने से यह नीति अमान्य हो जाएगी।</p> <p>कोई भी विशेष प्रावधान जिसके अधीन इस नीति में प्रवेश किया गया है और नीति में इसका समर्थन किया गया है, इस नीति का हिस्सा माना जाएगा और तदनुसार प्रभावी होगा।</p> <p>प्रतीक्षा अवधि:</p> <p>इस पॉलिसी की प्रतीक्षा अवधि फसल की अवधि के 15 प्रतिशत दिनों से कम है जैसा कि आपने प्रस्ताव में घोषित किया है या स्थापना की तारीख से या बुवाई की बदली हुई तारीख/फसल से पहले 21 दिनों की है।</p> <p>यदि प्रतीक्षा अवधि के दौरान नुकसान या क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त क्षेत्र की बीमित राशि को शेष पॉलिसी अवधि के लिए क्षतिग्रस्त कुल क्षेत्र से समाप्त माना जाएगा।</p> <p>फसल प्रबंधन खंड: अनुचित फसल प्रबंधन प्रथाओं की स्थिति में जैसे कि समय पर और पर्याप्त निराई करने में विफलता, सिंचाई, कीट या रोग या पोषण की कमी या अत्यधिक</p> <p>नो क्लेम डिस्काउंट (एन. सी. डी.):</p> <p>कंपनी आपकी पिछली पॉलिसी पर कोई दावा नहीं होने पर प्रीमियम के 2.5% के स्लैब में छूट की अनुमति देगी।</p> <p>बीमित व्यक्ति नो क्लेम डिस्काउंट के लिए पात्र होगा, भले ही</p>	
--	---	--

	<p>बीमित व्यक्ति पहले एक सीजन के लिए बीमित कृषि बहुभुज के लिए बीमा खरीदना छोड़ दे। हालाँकि, यदि कृषि बहुभुज का दो के लिए बीमा नहीं किया गया है।</p> <p>एन. सी. डी. नीति के अनुसार लागू होगी।</p> <p>यदि किसान बीमित क्षेत्र को बढ़ाता है तो एन. सी. डी. पिछले फसल मौसम में बीमित क्षेत्र की सीमा को लागू करेगा जिसमें किसान ने छूट अर्जित की थी।</p> <p>छूट केवल तभी लागू होगी जब उसी कृषि बहुभुज का बीमा उसी किसान द्वारा किया जा रहा हो।</p> <p>अधिकतम छूट शुद्ध प्रीमियम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।</p> <p>यदि पॉलिसी पर किसी दावे की सूचना दी जाती है, तो अर्जित एन. सी. डी. शून्य हो जाता है।</p> <p>वफादारी बोनस:</p> <p>कंपनी लॉयल्टी बोनस के रूप में ग्राहकों को प्रीमियम छूट देती है, बशर्ते कि किसान पिछले सीजन में उसी हद तक या उससे अधिक भूमि का बीमा करता हो।</p> <p>चालू बीमा में शुद्ध प्रीमियम पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।</p> <p>किसान छूट के लिए पात्र होगा, भले ही किसान अगले फसल के मौसम में अपने खेत का बीमा न करे, लेकिन लगातार दो फसल के मौसम से अधिक के लिए नहीं।</p> <p>यदि किसान बीमित खेत की सीमा को कम करता है तो छूट आनुपातिक रूप से कम की जाएगी।</p>	
--	--	--

पॉलिसीधारक द्वारा घोषणा

मैंने उपरोक्त पढ़ा है और विवरण को नोट करने की पुष्टि की है।

स्थान: (पॉलिसीधारक का हस्ताक्षर)

तारीख:

ध्यान दें:

- आप हमारी वेबसाइट पर <https://kshema.co> पर सी. आई. एस. सहित नीति संबंधी दस्तावेजों को देख सकते हैं।
- किसी भी टकराव के मामले में, नीति दस्तावेज में उल्लिखित नियम और शर्तें प्रबल होंगी।